न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 08 / 2022

1. मोहनी पत्नी रामरख जाति बिश्नोई निवासी चक 19 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर

.....प्रार्थीया

1. गोपीराम पुत्र रामधन जाति बिश्नोई निवासी 19 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर
2. शांतिदेवी पत्नी रामधन

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट
–: आदेश :– **दिनांक :– 06.04.2023**

प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि प्रार्थीया के चक 19 केवाईडी बी के मु0नं0 119/28 के किला नं0 22 ता 25 की 4.00 बीघा कमाण्ड भूमि में ढ़ाणी बनाकर निवास करती है। प्रार्थीया इसी मुरब्बा नं0 119/28 के किला नं0 5,6,15,16 में 2–2 बिस्वा में बनाए रास्ते का ही उपयोग व उपभोग करती रही है तथा विगत 30 वर्षो से उक्त रास्ता चल रहा है। प्रार्थीया के खेत में आवागमन का सर्वोतम नजदीकी व एकमात्र रास्ता है। प्रार्थीया उक्त रास्ता किमतन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहती है। अतः चक 19 केवाईडी बी के मु0नं0 119/28 के किला नं0 5,6,15,16 में 2–2 बिस्वा गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज करने के आदेश फरमावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होने के बाद अप्रार्थी सं0 1 को पक्ष रखने हेतु रजि0 डाक से नोटिस भिजवाया गया जिसके बाद अप्रार्थी सं0 1 मय अधिवक्ता श्री बृजलाल चाहर हाजिर आकर जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। जिसके अनुसार मुरब्बा नं0 119/28 के किला नं0 5,6,15,16 में कभी भी रास्ता नहीं रहा है और ना ही मौके पर कोई रास्ता चालू है। उक्त भूमि अप्रार्थी की खातेदारी भूमि है तथा अप्रार्थी द्वारा अपनी उक्त भूमि पर चारों तरफ तारबन्दी करके फसल काश्त कर रखी है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र खारिज योग्य है। अगर प्रार्थीया अप्रार्थी सं0 1 की खातेदारी भूमि में से रास्ता लेना चाहती है तो उक्त रास्ते के बदले में प्रार्थीया को अपनी भूमि में से 8 बिस्वा भूमि देनी होगी। अप्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि के किला नं0 5,6,15,16 में 2–2 बिस्वा रास्ता तभी देगा जब प्रार्थीया उक्त रास्ता के बदले किला नं0 22 में 8 बिस्वा भूमि अप्रार्थी को देने को सहमत होती है। अप्रार्थी अपनी उक्त खातेदारी भूमि में से किमतन रास्ता देने के लिए सहमत नहीं है तथा ना ही किमतन रास्ता प्रार्थीया को देगा। प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र के बेबुनियाद होने के कारण खारिज करने योग्य है।

तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट ली गई जिसके अनुसार चक 19 केवाईडी बी के मु0नं0 119/28 के किला नं0 5,6,15,16 व इसी चक के मु0नं0 119/36 के किला नं0 1,10,11,20,21 दो विकल्प में रास्त बाबत् रिपोर्ट तैयारकर भिजवाई गई। मुरब्बा नं0 119/36 के काश्तकार को नोटिस जारी उपरान्त हाजिर नहीं आया और प्रार्थीया मोहनी एवं अप्रार्थी सं0 1 गोपीराम ने लोक अदालत की भावना से प्रार्थनापत्र बाबत् राजीनामा पेश किया जिसके अनुसार उक्त प्रकरण में प्रार्थीया व अप्रार्थी सं0 1 के मध्य लोक अदालत की भावना व मौजिज लोगों की समझाईश से आपस में राजीनामा हो गया है जिसके अनुसार चक 19 केवाईडी बी के मु0नं0 119/28 के किला नं0 1 ता 21 गोपीराम के नाम तथा किला नं0 22 ता 25 मोहिनी के नाम से खातेदारी है मोहिनी को रास्ता हेतु किला नं0 5,6,15,16 में 2—2 बिस्वा गोपीराम देने के लिए तैयार है तथा उक्त रास्ता भूमि के बदले किला नं0 22 ता 25 में 2—2 बिस्वा भूमि गोपीराम को बदले में देने को तैयार है। जिसके लिए हम फरिकेन तैयार है तथा इसीप्रकार न्यायालय से उक्त प्रकरण में लोक अदालत की भावना से फैसला चाहते है। अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि लोक अदालत की भावना से फैसला फरमावें। उभयपक्ष बहस सुनी गई। प्रार्थीया व अप्रार्थी सं0 1 अधिवक्ता ने निवेदन किया कि राजीनामा हो गया है इसलिए उक्त राजीनामा के आधार पर फैसला फरमाया जावे।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात व जवाबप्रार्थनापत्र सहमतिपत्र, तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट के अवलोकन, अध्ययन व बहस पर मनन किया गया। अदालत का यह फैसला है कि काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रहत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे चूंकि पक्षकारों में लोकअदालत की भावना से सहमति हो चुकी है । अतः प्रार्थीया व अप्रार्थी सं0 1 की सहमति के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अतः चक 19 केवाईडी बी के मु0नं0 119/28 के किला नं0 5,6,15,16 में 2—2 बिस्वा गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार अंकन के आदेश तहसीलदार खाजूवाला को किये जाते है एवं उक्त रास्ता के प्रतिफल के रूप में पक्षकारों की सहमति अनुसार प्रार्थीया के किला नं0 22 ता 25 प्रत्येक में से 2—2 बिस्वा (अप्रार्थी सं0 1 के चिपती भूमि) अप्रार्थी सं0 1 गोपीराम के नाम राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार दर्ज की जावें। तहसीलदार खाजूवाला आदेश मुताबिक नियमानुसार अमलदरामद करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल—दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)